11.6.18 पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 में आदर्श सेवा केन्द्र सुरसिंहपुरा में पेश हुई। वादी स0 2 एवं वादी स0 1, 3 की तरफ से जरिये वकील तथा प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजी पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सहमति से विवादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करने हेतु सहमत है। पक्षकारो को मय साक्षी मौके पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत राजी पत्र का अवलोकन किया गया तो पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से तय होकर राजी पत्र जरिये अभिवक्ता प्रस्तुत हुआ की सहमति पत्र में वर्णित आराजीयात जिसका विभाजन उप खण्ड अधिकारी, साभर के न्यायालय द्वारा दि० 16-10-84 को निर्णय होकर रिकार्ड में अमल दरामद हुआ है। उक्त सम्पूर्ण भूमि का सीमाज्ञान / पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु संयुक्त रूप से हम सहमत है। अत: हम सभी खातेदारान की भूमि बटवारे के अनुसार सीमाज्ञान कर अवगत करा दी जावे तो हम अपनी-अपनी सीमाओ पर कायम रहने को तैयार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगणो द्वारा प्रस्तुत राजी पत्र का अवलोकन करने से पाया की दि० 16-10-84 को हुये बटवारे नामे के अनुसार सीमाये कायम नहीं हो सकी है इस कारण से पक्षकारो के मध्य मन मुटाव चल रहा है यदि दि० 16-10-84 के निर्णय अनुसार सीमाये कायम हो जाती है तो पक्षकारो के मध्य कोई विवाद ही नहीं रह जावेगा अत: वादी का वाद डिक्री किया जाकर तह० फुलेरा को आदेश दिये जाते

अभिभाषक 11/6/18 (मालसिंह) महेन्द्रसिंह अर्जुनसिंह ५२वी सिंह
रिछपाल व सज्जनसिंह की ओर से पहचान कर्ता जरिये अधि० Laxmi N

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		है कि दि० 16-10-84 के निर्णय अनुसार सीमा कायम करने हेतु पक्षकारो से निर्धारित शुल्क जमा कर दि० 16-10-84 को पक्षकारों के बुजुर्गों द्वारा किये गये बटवारे के अनुसार सीमा कायम करने हेतु सर्वे टीम बनाकर सर्वे कराकर सीमा कायम कर पक्षकारों को सीमा से अवगत करावें। पक्षकारान जब तक कि सीमा कायम नहीं हो जाती जब तक मौके की यथावत स्थिती बनाये रखेंगे। ढोके तैयार हों। पालना हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश सबके समक्ष में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी साभरलेक

Scanned by CamScanner